उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद-1
संख्या:बारह-29-2008,दिनांक:दिसम्बर 18 ,2008

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश ।

विषय: वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता एवं स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु निर्गत संशोधित दरें ।

--

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:जी-1-953/ दस-2008-203/99, दिनांक 8-12-2008, जी-1-954/दस-2008-203/99, दिनांक 8-12-2008 व जी-2-1985/दस-2008-339/2008 दि० 11-12-2008 की प्रतिलिपियॉ आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जाती हैं। कृपया उल्लिखित शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:यथोपरि ।

17/12/08

(अशोक कुमार)
अपर पुलिस अधीक्षक,मुख्यालय,
नि0 पुलिस उप महानिरीक्षक,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या तथा दिनांक वही

21/12/08 प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,इलाहाबाद ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक,भवन/कल्याण,इलाहाबाद ।
3- पुलिस महानिरीक्षक,प्रो0 एवं बजट,इलाहाबाद ।
4- पुलिस उप महानिरीक्षक,मुख्यालय,इलाहाबाद ।
5- पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,इलाहाबाद ।
6- वित्त नियंत्रक,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद ।
6- पुलिस अधीक्षक,मुख्यालय/स्थापना,इलाहाबाद ।
7- अपर पुलिस अधीक्षक,स्थापना/मुख्यालय,इलाहाबाद ।
8- पुलिस उपाधीक्षक,स्थापना/मुख्यालय/भवन एवं कल्याण/विधि प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
9- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी,मुख्यालय,इलाहाबाद ।
10- समस्त कार्यालय अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी,पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्याः–जी–1–953 / दस–2008–203 / 99

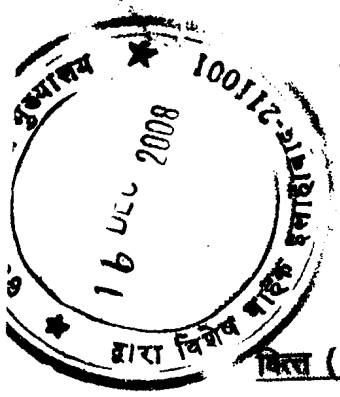

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य)अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2008

विषयः वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–2008–50(एम) / 2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति– 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रम सं0	ग्रेड–वेतन / वेतनमान (रु0)	श्रेणी–ए, बी–1 तथा बी–2 के नगरों में	श्रेणी–सी के नगरों में	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	1300	900	450	300
2	1400	930	465	310
3	1650	980	490	325
4	1800	1100	550	365
5	1900	1160	580	385
6	2000	1200	600	400
7	2400	1470	735	490
8	2800	1670	830	555
9	4200	2020	1010	670
10	4600	2760	1380	920
11	4800	2810	1405	935
12	5400	3150	1575	1050
13	6600	3780	1890	1260
14	7600	4480	2240	1490

अपर पुलिस महानिदेशक
उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
16/12/08

15	8700	6910	3455	2300
16	8900	7280	3640	2430
17	10000	8200	4100	2730
18	12000	9200	4600	3000
19	वेतनमान 80000 नियत	10500	5250	3500

श्रेणी ए, बी–1, बी–2, सी तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से संबंधित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
ए, बी–1, बी–2	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
'सी'	नजीबाबाद, नगीना, चाँदपुर, बिजनौर, चन्दौसी, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रूड़की, शामली, कैराना, मुजफ्फर नगर, बड़ौत, भवाना, पिलखुआ, हापुड़, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, सहसवान, बदाँयू, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फर्रुखाबाद–कम–फतेहगढ़, औरैया, इटावा, झाँसी, ललितपुर, महोबा, बाँदा, फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, नवाबगंज, टांडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय, मिर्जापुर–कम–विन्ध्याचल, [illegible], खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, [illegible], हाजीपुर दादरी, जहाँगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, जालौन, कोंच, मऊरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकूट के शहरी क्षेत्र।
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

3– ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4– अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

5– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

6– संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।

7— ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनको द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

8— यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होगें।

9— अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी—1—953(1)/दस—2008—205/99,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
1— महालेखाकार—1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2 (तीन—तीन प्रतियों में)
4— सचिव, श्री राज्यपाल।
5— विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
6— निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या–जी–1–954/दस–2008–203/99

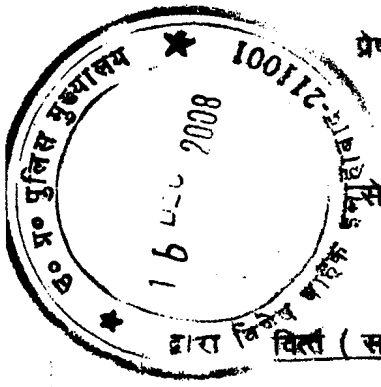

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उ० प्र० पुलिस मुख्यालय ★ इलाहाबाद-211001 ★ 16 DEC 2008 द्वारा विशेष वाहक

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

विषय: नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधन दरें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–2008–59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति– 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

ग्रेड वेतन(रूपया)	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी* एक लाख या उससे अधिक है। (नगरीय क्षेत्र)
1	2	3	4	5
1300 से 1800 तक	170	120	80	50
1900 से 2800 तक	240	180	120	80
4200 से 4800 तक	360	270	180	120
5400 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्चतर वेतनमान	450	360	300	200

* वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर।

अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
16/12/08

16/12/08

2– ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

3– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा, जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

4– ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों, के नगर प्रतिकर भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

6– यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

अनूप मि०

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी–1–964(1)/दस–2008–203/99,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
1– महालेखाकार–1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों में)
4– सचिव, श्री राज्यपाल।
5– विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
6– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या:–जी–2–1985 / दस–2008–339 / 2008

प्रेषक,

बी0एन0 दीक्षित,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

उ० प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-211001 द्वारा विशेष वाहक 16 DEC 2008

सेवा में,

1–शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2008

विषय: **स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–2008–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

2– वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0 ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़ कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(23) (बी) के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनाराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	दिनांक 01–1–96 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक 01–1–2006 से लागू वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड–पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
1.	2550–55–2660–60–3200	4440–7440	1300	210
2.	2610–60–3150–65–3540	4440–7440	1400	
3.	2650–65–3300–70–4000	4440–7440	1650	
4.	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	
5.	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	
6.	3200–85–4900	5200–20200	2000	
7.	4000–100–6000	5200–20200	2400	

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
16/12/08

8.	4200–100–6150–125–6400	5200–20200	2800	250
9.	4500–125–7000	5200–20200	2800	
10.	4500–125–7250	5200–20200	2800	
11.	5000–150–8000	9300–34800	4200	400
12.	5500–175–9000	9300–34800	4200	
13.	6500–200–10500	9300–34800	4200	
14.	7450–225–11500	9300–34800	4600	450
15.	7500–250–12000	9300–34800	4800	500
16.	8000–275–13500	15600–39100	5400	550
17.	8550–275–14800	15600–39100	5400	
18.	10000–325–15200	15600–39100	6600	650
19.	10650–325–15850	15600–39100	6600	
20.	12000–375–16500	15600–39100	7600	750
21.	14300–400–18300	37400–67000	8700	800
22.	16400–450–20000	37400–67000	8900	900
23.	18400–500–22400	37400–67000	10000	1000

3– उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16–11–79–9–153–99 दिनांक 23 फरवरी, 1980 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। सम्बन्धित शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(बी०एन० दीक्षित)
सचिव

संख्या जी–1–1985(1)/दस–2008–339/2008,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–1, 2 एव 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2, (तीन–तीन प्रतियों में)
4– सचिव, श्री राज्यपाल।
5– प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय/सचिव, विधान परिषद् सचिवालय।
6– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव चिकित्सा अनुभाग–11 को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि यदि उक्त आदेश मे कोई संशोधन आपेक्षित हो तो कृपया तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1314 / दस– 59(एम) / 2008.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

विषय:–वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या– वे0आ0–2–870 / दस– 34(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–824 / दस–34 (एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–54(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन ऐसे पदधारकों को भी वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि / शर्तो की पूर्ति पर वैयक्तिक रुप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

4– दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत / देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह जायेगा।

5– ऐसे संवर्ग / पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण / संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण / संशोधन के दिनांक से चुन लें।

5123

6— वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों लागू होने के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय मंहगाई भत्ता, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 (स्त्रोनयन) की संशोधित व्यवस्था, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

7— विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी।

8— उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरुप निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर–6 में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधाओं को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी।

9— इस शासनादेश द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1314(1)/दस–59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)– I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10—गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 2008,
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (रु0)	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान (रु0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु0)
1	2	3	4	5
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500*	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	5400
16	8000–275–13500**	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
17	8550–275–14600	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
18	10000–325–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
19	10650–325–15850	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
20	12000–375–16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
21	14300–400–18300	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
22	16400–450–20000	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8900
23	18400–500–22400	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
24	22400–525–24500	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	12000
25	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

* जहाँ इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहाँ यह वेतनमान समयमान वेतनमान / ए.सी.पी. के रूप में देय हो।

** जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।

संख्या–वे0आ0–1–1775/दस–2008–42(एम)/08

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008

विषयः– राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0 आई0 सी0 टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1–06–2006, 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से अनुमन्य मँहगाई भत्ते की संशोधित दरे।

पठित निम्नलिखितः–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–606/दस–2008–42(एम)/97, दिनॉक 27 मई, 08
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(3)/2008– ई–II(बी), दिनांक 29–08–2008
(3) शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–54(एम)/08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08
(4) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08
(5) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1315/दस–59(एम)/08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त कम सं0–(2) पर उल्लिखित कार्यालय–ज्ञापन द्वारा दिनांक 01–01–2006, दिनांक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से निम्नानुसार संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैः–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	वेतन का 9 प्रतिशत

(5/3)

01–01–2008	वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपर्युक्त कम संख्या–3 पर उल्लिखित शासकीय संकल्प, दिनांक 08दिसम्बर, 2008 के कम में राज्यपाल महोदय दिनांक 01–01–2006, दिनांक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
01–01–2008	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

3– इस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व मे शासनादेश संख्या वे0आ0–1–656/दस–2006–42(एम)/97, दिनॉक 16 जून, 2006, शासनादेश संख्या वे0आ0–1– 1415/दस–2006–42(एम)/97, दिनॉक 16 नवम्बर, 2006, संख्या वे0आ0–1–702/ दस– 2007– 42(एम)/97, दिनॉक 5 जून, 2007, संख्या वे0आ0– 1–1514/दस–2007–42(एम)/97, दिनॉक 15 अक्टूबर, 2007 एवं सं0–वे0आ0–1– 606/दस–2008–42(एम)/97, दिनॉक 27 मई, 2008 द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई महंगाई भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जायेगा।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को "वेतन" का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित मँहगाई भत्ते की दरों के आधार पर दिनॉक 1—12—2008 से (दिनॉक 01 जनवरी, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरुप दिनॉक 1—1—2006 से 30—11—2008 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0—2—1313/दस—54(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर—1(13) में प्रावधानित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—1— 1775(1)/दस—42(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(01) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(02) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(03) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(04) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
(05) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(06) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(07) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(08) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(09) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(12) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(15) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।